

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
डी0डी0एम0ए0, रुद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 13 अक्टूबर, 2018

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2015-16 अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत आगणन "Special Repair and Re-Construction of damaged old GMVN building at Sh. kedarnath Dham for Establishment and Utility of Govt. Hospital at kedarpuri in District Rudraprayag." पर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-889/DDMA/2015-16 दिनांक 07.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विशेष योजनागत सहायता-पुर्ननिर्माण(SPA-R) वित्तीय वर्ष 2015-16 में DDMA Tourism के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना Construction of hospital building and Nagar Panchayat office at old Ghoda padav area Kedarpuri. लागत धनराशि रू0 600.00 लाख के सापेक्ष/अन्तर्गत सिविल कार्य इकाई डी0डी0एम0ए0 रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव Special Repair and Re-Construction of damaged old GMVN building at Sh. kedarnath Dham for Establishment and Utility of Govt. Hospital at kedarpuri in District Rudraprayag. लागत धनराशि रू0 130.45 लाख (रू0 एक करोड़ तीस लाख पैंतीस हजार मात्र) के प्रस्ताव/आगणन पर प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2-

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष योजनागत सहायता(पुर्ननिर्माण) के मद में बजट व्यवस्था धनराशि रू0 600.00 लाख के अंतर्गत रू0 130.45 (रू0 एक करोड़ तीस लाख पैंतालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरण कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु शासनादेश संख्या:-966/XVIII-(2)/2015 -15(15)/2015 दिनांक 06.04.2015 एवं शासनादेश संख्या:-1425/XVIII (2)/2017-15(15)/2015 दिनांक 09.10.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 2- यह धनराशि आपदा, 2013 से हुयी क्षतियों के पुर्ननिर्माण के लिए स्वीकृत की जा रही है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यों के धनराशि का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जाएगा।
- 4- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है एवं शासनादेश द्वारा कार्य की विशिष्टियों/मदों में परिवर्तन की स्वीकृति दी गयी है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी एवं निर्माण ईकाई का होगा।
- 5- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट/योजना से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।
- 6- उक्त निर्माण कार्य हेतु यदि पूर्व में कोई अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गयी हो तो सर्वप्रथम उसके समायोजन सुनिश्चित कर लिया जाए।
- 7- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित जिलाधिकारी/निर्माण एजेन्सी/ संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 8- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ नियमानुसार पूर्ण कर ली जाएगी।
- 9- कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

- 10- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त किये गये कार्यों की फोटोग्राफ रखे जायेंगे। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। तदनुसार ही कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाएगा।
 - 11- जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन तथा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
 - 12- यदि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि व्यय की गई है, तो उसका समायोजन भी सुनिश्चित किया जाए।
 - 13- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के लेखों का रख-रखाव तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत वित्तीय नियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-08-एस.पी.ए./ए.सी.ए.(आपदा 2013) के अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्र हेतु अनुदान-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3/(150)/-2017/XXVII(1)/2018,दिनांक 02,अप्रैल, 2018 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या- (1)/XVIII-(2)/18-4(08)/2017, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
- 2- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- अपर सचिव/वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
- 7- निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 8- प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- वित्त अनुभाग-1/5, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव